


न्यायालय - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

प्रार्थी (S/O) अप्रार्थीगण
र जारी तहसीलदार बरसी बनाम माफी मंदिर श्री चारभुजा महाराज तृगा व अन्य
पत्र संख्या 92/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही आज्ञा विस्तृत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट विशेष विवरण

03.12.2021 प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/01/2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
बरसी, जयपुर

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/1/22 को पेश हो।
23/2/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/2/22 को पेश हो।
30/3/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 30/3/22 को पेश हो।
27/4/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 27/4/22 को पेश हो।
25/5/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/5/22 को पेश हो।
29/6/22

2/7/22

प्राचीन विद्यापीठ
बस्ती जिला जयपुर
2/7/22

प्राचीन विद्यापीठ सरकार जयपुर
 महसूलवार प्रमाण के द्वारा महसूल
 पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल-आर-ए
 के तहत जैसा कि माह प्रमाण पत्र के
 अंतर्गत है महसूल हो कि सरकार
 को रिपोर्ट अनुसार प्राचीन पत्र के
 किने जाने हेतु प्राचीन की सहायता
 किनेमसि के आधार पर प्राचीन के द्वारा प्राचीन
 प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल-आर-ए
 के राजस्व अधिनियम का एकीकृत किया जा
 है तथा महसूलवार प्रमाण का अधिकाधिक
 है कि रकम न० 700 रकम 0.0500 हेक्टर
 ग्राम प्रमाण पत्राट हलका हुआ अं. अं. नं. 10
 प्रमाण महसूल प्रमाण में स्थित प्राचीन पत्र के सलम
 नवंबर में लाल धाही से अर्थात् रास्ता जो मंजूर
 विहित है लेकिन राजस्व नवंबर में अर्थात् नहीं
 उसे राजस्व नवंबर में अर्थात् किया जावे मन्त्र प्रथम
 के रकम न० (प्रा. जावे रास्ते की धारिता को धारिता
 में किसे अं. अं. नं. रास्ते के रूप में अर्थात् किया
 जावे उपरोक्त अनुसार महसूलवार प्रमाण को धारिता
 प्राचीन को सहायता लेकर पत्र नवंबर से कम होने
 पर धारिता धारिता

526
 अं. अं. नं.
 महसूलवार
 प्रमाण को
 धारिता धारिता